**PRESS NOTE**

गत दिनाक ३०/०८/२०१७ के दिन नानी दमन पोलिस स्टेशन पर शिकायत कर्तानें अपनी शिकायत दर्ज करवाई के उसकी ६ सालकी बच्ची जो अरविंदभाई की चाल मे अन्य बच्चो से खेल रही थी तब वो वहा से गुम हो गई है। इस तरह की शिकायत के आधार पर नानी दमन पोलिस स्टेशन मे आई.पी.सी. की धारा ३६३ के तहत मामला दर्ज किया गया और इस अपराध की आगेकी तफ़तीस चालू की गई।

अपराधकी गंभीरता को ध्यानमे लेते हुए महोदय DIGP दमन-दीव और दादरा नगर हवेली श्री ब्रिजेशकुमार सिंग, महोदय SP श्रीमति मेघना यादव, एवं SDPO श्री रवीद्रकुमार शर्मा के मार्गदर्शन मे नानी दमन पोलिस स्टेशन एस.एच.ओ. श्री भरत पुरोहित, कोस्टल पोलिस स्टेशन मोटी दमन एस.एच.ओ. श्री सोहील जीवाणी की नेतृत्वमे PSI नगिन पटेल, हेड कॉन्स्टेबल कृष्नविजय गोहील , निलय ठक्कर , विजय मकवाणा , अनिमेष ठक्कर , पोलिस कॉन्स्टेबल सुमित भक्ति, हरेश सोलंकी, स्नेहल सोलंकी, जिग्नेश पटेल, राकेश पटेल, भौतिक बामनिया, केवल पटेल, संदिल सिंग, मौनिक भण्डारी, भाविक मिटना, अमित बाजपई एवं वीरू हलपति वालोकी टीम बनाकर अलग अलग दिशामे केश की तफ़तीस प्रारम्भ की।

प्रारंभिक तफ़तीस मे लड़की के नजदीकी रिस्तेदार , पड़ोसी एवं आसपास के विस्तार के CCTV फुटेज चेक किया गया किन्तु लड़की के बारेमे किसीभी प्रकारकी कोई जानकारी प्राप्त न हुए, जिसके बाद दिनांक ०१/०९/२०१७ को दमन कोस्ट गार्ड एरपोर्ट की पीछेकी झाडीओ मे से एक अंजान लड़की जिसकी उम्र ७ से ८ साल जैसी लग रही थी उसकी लाश सडी हुई एवं बिलकुल पहेचान न हो शके वैसी हालतमे मिली.

यह लाश पर बारिकाई से जांच करने पर ऐसा पाया गया के यह लड़की पर बलात्कार करके उसे मार मारके मार दिया गया था और लाशकों झाड़ियोमे फेक दिया। उसके बाद आसपास के एरियामाँ मे आनेवाली ३७ चाल जिसमे कुल ७०० जितनी रूममे तफ़तीस की गई। पोलिस टीम द्वारा दिन रात महेनत करके अंदाजीत ४०० से ५०० व्यक्तिओ को शक के आधार पर पूछपरछ की गई। जिस तफ़तीसमे एक व्यक्ति नाम धनंजय शिवचरण चतुर्वेदी , रहे- प्रवीनभाईकी चाल, दलवाड़ा वाला संदिग्ध पाया गया। जिसकी और ज्यादा तफ़तीस करने पर पाया गया के वह नसेड़ी है और दारू-बियर पिनेकी आदत वाला है। और तफ़तीस के दौरान पता चला के धनंजय का भाई बार बार पीड़ित लड़कीके पिता के पास जा करके लड़की के बारे मे पुछ रहा था। जिस वजह से धनंजय पर शक और गहरा होता गया। जिसके बाद पोलिस टीम द्वारा धनंजय को कब्जेमे ले कर लगातार , बार बारकी पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान धनंजयने अ पना अपराध कबूल किया। जिसके बाद दमन पोलिस ने दिनांक ०५/०९/२०१७ के दीन धनंजय को हिरासतमे ले कर हवालात मे डाल दिया गया।

## <u>अपराधी की पूछताछ</u>

अपराधी की पूछताछ के दौरान अपराधी धनंजय चतुर्वेदीने बताया के वह कुँवारा है और १२ कक्षा तक पढ़ाई की है और वह मूल गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और हालमे अपने बड़े भाईके साथ प्रवीणभाई की चाल, रूम नंबर ७ , दलवाड़ा, दमन मे रहता है। और वह आखरी २-३ महीने से ऐसीयन प्लास्टो बैंड कंपनीमे काम करता है और दिनांक २९/०८/२०१७ के दिन गणपति विसर्जन मे गया था और वहा पर पीड़ित लड़कीको मिला था। जहा पर उसने पीड़ित लड़की को बहला-फुसला कर वेफ़र एवं फ्रूटी की लालच दे कर दलवाड़ा एरियामे झाड़ी विस्तारमे ले गया और वहा पर उसके साथ बलात्कार करके गला दबा कर मार दिया और उसके चेहरे पर हाथो से बारबार पंच मारके लड़की की शक्ल खराब कर दी ताकी कोई उस लड़की को पहेचान न शके।

इस तरह दमन पोलिसने ६ सालकी लड़की का अपहरण करके उस पर बलात्कार करके जान से मार देने वाले अपराधी को ६ दिनमे पकड़ कर केश मे सफलता प्राप्त की।

# दमण पुलिस ने रेप एवं मर्डर मामले की गुत्थी को सुलझाया: आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

■ डीआईजीपी बी. के. सिंह ने पुलिस टीम के साथ प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी ■ आरोपी ने 29 अगस्त को 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद कर डाली थी हत्या ■ तीसरे दिन दलवाड़ा में नाले के पास झाड़ियों में मिला था बच्ची का शव ■ दिन-रात की कड़ी मेहनत के बाद दमण पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में पायी सफलता ■ दमण-दीव एवं दानह डीआईजीपी बी. के. सिंह, दमण एसपी मेघना यादव, एसडीपीओ रविन्द्र कुमार शर्मा, नानी दमण थाना प्रभारी भरत पुरोहित, मोटी दमण कोस्टल थाना प्रभारी सोहिल जीवाणी के नेतृत्व में 15 से 20 पुलिस की टीम ने सुलझाया मामला

असली आजादी ब्यूरो, दमण 06 सितंबर। दमण के दलवाड़ा विस्तार से गुम हुई बच्ची की रेप एवं हत्या के बाद झाड़ियों से शव मिलने मामले की गुत्थी को दमण पुलिस ने सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में आज डीआईजीपी बी. के. सिंह ने दमण एसपी मेघना यादव, एसडीपीओ रविन्द्र कुमार शर्मा, नानी दमण थाना प्रभारी भरत पुरोहित, मोटी दमण कोस्टल थाना प्रभारी सोहिल जीवाणी सहित पुलिस टीम की उपस्थिति में प्रेस कांफ्रेंस कर मीडिया को पूरी जानकारी दी। डीआईजीपी बी. के. सिंह ने बताया कि 30 अगस्त को बच्ची के परिजनों ने अपनी 6 वर्षीय बच्ची के गुम होने का मामला दमण पुलिस थाने में दर्ज कराया था। नानी दमण पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली डीआईजीपी बी. के. सिंह, दमण एसपी मेघना यादव, एसडीपीओ रविन्द्र कुमार शर्मा, नानी दमण थाना प्रभारी भरत पुरोहित, मोटी दमण कोस्टल थाना प्रभारी सोहिल जीवाणी के नेतृत्व में पीएसआई रतीश पटेल, हेड कांस्टेबल कृष्णविजय गोहिल, जितेश ठाकुर, जितेश मकवाणा, अनिलेश ठाकुर, पुलिस कांस्टेबल सुनील भाई, हरेश सोलंकी, रमेश सोलंकी, जिग्नेश पटेल, राकेश पटेल, धीरेश वाल्मीक, केयूर पटेल, सतीश सिंह, धीरेश चौहान, भाविक मिस्त्री, अमित बारोट एवं सीम हलपति की टीम बनाकर अलग-अलग दिशा में जांच के लिए भेजी गयी। प्राथमिक जांच में पुलिस ने बच्ची के नजदीकी रिलेटिव, पड़ोसी एवं आसपास के विस्तारों के सीसीटीवी फुटेज चेक किया लेकिन किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। इसी दौरान 1 सितंबर को दमण दलवाड़ा विस्तार में नाले के पास झाड़ियों से एक अज्ञात 6 से 7 वर्षीय बच्ची की लाश पुलिस को बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने शव की बारीकी से जांच कराया जिसमें पता चला कि बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी है। पुलिस टीम ने दलवाड़ा विस्तार की लगभग 37 चालों के लगभग 700 कमरों में जांच की। वहीं 400 से 500 व्यक्तियों से शक के आधार पर पूछताछ की गयी। इसी दौरान धर्मेन्द्र शिवचरण चतुर्वेदी (19) निवासी उपाध्यायवाड़ी की चाल दलवाड़ा को संदिग्ध पाया गया। जिसकी और अधिक जांच करने पर पता चला कि वह शराब पीने का आदी है। वहीं दूसरी ओर धर्मेन्द्र शिवचरण चतुर्वेदी का बड़ा भाई बार-बार पीड़ित बच्ची के पिता के पास जाकर पूछ रहा था कि उसकी बच्ची मिली की नहीं? इससे धर्मेन्द्र के ऊपर शक और ज्यादा होता गया, जिसके बाद पुलिस ने धर्मेन्द्र चतुर्वेदी को अपने कब्जे में लेकर सख्ती से पूछताछ की जिसमें धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने कबूल किया कि 29 अगस्त को बच्ची गणपति पूजा देखने गयी थी, वहीं से उसने बच्ची को बहला-फुसलाकर पैसा एवं कुर्ती का लालच देकर दलवाड़ा पुलिया की झाड़ियों में ले गया और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। बच्ची पहचान में ना आये इसके लिये उसके चेहरे को बिगाड़ दिया था। धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने अपना गुनाह कबूल किया कि उसी ने बच्ची का रेप और मर्डर किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी को 5 सितंबर को अपनी हिरासत में ले लिया। डीआईजीपी ब्रजेश कुमार सिंह ने सवालों के जवाब में कहा कि हमारे पास सारे सबूत हैं, हम इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। उन्होंने बताया कि आरोपी गोरखपुर का रहने वाला है, और मृत बच्ची के गांव का ही निवासी है। आरोपी यहां पिछले छह महीने से अपने बड़े भाई के साथ रहकर दलवाड़ा क्षेत्र की एक कंपनी में नौकरी है और अविवाहित है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 302, पोक्सो एक्ट 4, 5, 201 एवं 363 के तहत मामला दर्ज किया है। डीआईजीपी बी. के. सिंह ने बताया कि हमारा प्रयास है कि चालों एवं इमारतों में रहने वालों और औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत लोगों की पहचान पूछताछ की जाये। साथ ही उन्होंने विभिन्न विजिबल विस्तारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही। उन्होंने अत्याधुनिक टेक्निक वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने की जानकारी देते हुए कहा कि इसके माध्यम से हम ऑफिस में बैठे ही ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों का चालान काट सकेंगे।